(कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन यू35201 एमएच 1990 जीओआई 223738

बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण संबंधी नीति

(14 फरवरी, 2023 को आयोजित 173 वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत)

1.0 प्रस्तावना

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) का यह विश्वास है कि कोंकण रेलवे के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। निदेशक मंडल, जो संगठन में उच्चतम स्तर पर हैं, इन्हें अपडेटेट रहने के लिए प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता है ताकि वे कोंकण रेलवे के हित में निर्णय ले सके। इन उद्देश्यों के लिए योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण नीति योग्य दिशा प्रदान करेगी।

यह नीति क्रियाशील निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और भारत सरकार {रेल मंत्रालय (एमओआर)के माध्यम से} और सहभागी राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों को शामिल करते हुए बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

2.0 कोंकण रेलवे के बोर्ड की संरचना

कोंकण रेलवे के निदेशक मंडल में कार्यकारी (क्रियाशील) और स्वतंत्र निदेशकों का सबसे अच्छा संयोजन है, जिसमें गैर-कार्यकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक 50% से कम नहीं होते हैं।

3.0 बोर्ड के सदस्यों की रूपरेखा

भारत सरकार (एमओआर के माध्यम से) द्वारा नियुक्त क्रियाशील निदेशक कोंकण रेलवे के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनके पास न केवल अपने कार्यक्षेत्र संबंधी व्यवसायिक योग्यता होनी है, बल्कि कंपनी के व्यवसाय तंत्र के बारे में भी व्यापक अनुभव होना है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित निदेशक व्यवसायिक रूप से योग्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिनके पास प्रशासन, वित्त, विपणन आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव होता है। स्वतंत्र निदेशक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के होते हैं, इनके पास व्यवसाय, वित्त, उद्योग, प्रशासन और जनता से व्यवहार संबंधी क्षेत्र में व्यापक अनुभव होता है।

4.0 निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए डीपीई के दिशा-निर्देश

भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश के अनुसार निदेशकों को प्रशिक्षण निम्नानुसार दिया जाता है:

"धारा 3.7 - निदेशकों का प्रशिक्षण

संबंधित कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (क्रियाशील, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें कंपनी के व्यवसाय की जोखिम प्रोफ़ाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और सीथ ही इसी प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करना शामिल होगा। उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक नैतिकता के मॉडल कोड और संबंधित निदेशकों के लिए आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.0 निदेशकों के लिए प्रशिक्षण

5.1 निदेशकों की विभिन्न श्रेणियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं उनकी योग्यता, अनुभव, बोर्ड में नियुक्ति/ नामांकन की प्रकृति को देखते हुए अलग-अलग होती हैं और उनके प्रशिक्षण को तदनुसार संरचित करने की आवश्यकता होती है।

(i) कंपनी के बोर्ड में क्रियाशील निदेशकों के संबंध में, निदेशकों को समय-समय पर सरकारी एजेंसियों/व्यावसायिक संगठनों/संस्थानों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। साथ ही कंपनी के विभिन्न विभागों संबंधी कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए आंतरिक रूप से परिवर्तन और संशोधन संबंधी भी अद्यतन किया जाएगा।

(ii) कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशकों के संबंध में, कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को आम तौर पर भारत सरकार और भागीदार राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल सरकारों द्वारा आंतरिक रूप से पूरा किया जाता है। नामित निदेशकों के लिए आगे कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि, मामले के आधार पर किसी विशेष आवश्यकता पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(iii) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में, सरकारी संगठनों/व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नियुक्त किए गए निदेशकों को आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5.2 प्रशिक्षण की अवधि

(i) बोर्ड के सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण बोर्ड में उनकी नियुक्ति के बाद कम से कम तीन दिनों (भारत में) की अवधि के लिए होगा या संबंधित निदेशक के ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता का विचार करते हुए किसी भी सरकारी एजेंसियों/व्यावसायिक संस्थानों के साथ समय-समय पर संशोधित किए गए के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ii) कंपनी अपने बोर्ड के सदस्यों को "आवश्यकता के अनुसार" विभिन्न प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करेगी जिससे बोर्ड के सदस्यों को विशेष रूप से अच्छे कॉर्पोरेट शासन के अभ्यास को अपनाते हुए अपने ज्ञान को व्यापक बनाने में मदद होगी और उन्हें कंपनी तथा उसके हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों / जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम किया जाएगा।

(iii) प्रशिक्षण वर्ष: प्रशिक्षण वर्ष का अर्थ वित्तीय वर्ष होगा, जो 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

5.3 प्रशिक्षण नीति

कोंकण रेलवे के निदेशकों के लिए निम्नानुसार दो स्तरीय प्रशिक्षण नीति होगी:

5.3.1 आंतरिक प्रशिक्षण

निदेशकों को कोंकण रेलवे के नियमों और विनियमों से परिचित कराने की दृष्टि से निदेशक को उनके पदभार ग्रहण करने पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे:

(i) कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी,

(ii) कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख,

(iii) कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट,

(iv) कंपनी की नवीनतम कॉर्पोरेट योजना,

(v) बोर्ड चार्टर पर नीति और कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देश,

(vi) कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता संबंधी नीति,

(vii) स्वतंत्र निदेशकों के लिए (स्वतंत्र निदेशकों के मामले में) उनसे संबंधित संहिता के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत यथा उपबंधित स्वतंत्र निदेशक की भूमिका और उत्तरदायित्व,

(viii) कोई अन्य संबंधित जानकारी और/ या दस्तावेज।

5.3.2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों और रेल मंत्रालय तथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के नामित निदेशकों को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, कोंकण रेलवे के व्यापार मॉड्यूल, जोखिम प्रोफाइल, प्रदर्शन, योजनाओं आदि पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जाएगी। यह कोंकण रेलवे के बोर्ड में पहली बार नियुक्त निदेशकों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।

5.3.3 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों और नामांकित निदेशकों की सुविधा के अनुसार, निदेशकों को कंपनी के कामकाज से परिचित कराने के लिए कंपनी के स्थलों का दौरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

5.3.4 बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक और निदेशक मंडल विभिन्न समितियों की बैठकों में प्रस्तुतियों और लिखित सामग्री के माध्यम से परिचालन, जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण पद्धति और प्रक्रियाओं, वित्त, विपणन, मानव संसाधन आदि सहित सभी व्यवसाय संबंधी मामलों और कंपनी द्वारा प्रस्तावित नई पहलों पर अद्यतन किया जाएगा।

5.4 बाहरी प्रशिक्षण

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और क्रियाशील निदेशकों की सुविधा के अनुसार, उन्हें प्रमुख संस्थानों अर्थात निदेशक संस्थान (आईओडी), लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (आईपीई) और अन्य प्रमुख संस्थानों के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षणों, सेमिनारों, सम्मेलनों के लिए नामित किया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक नैतिकता और आचरण, निदेशक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, उच्च प्रदर्शन करने वाले संगठनों का निर्माण, विकास

के लिए रणनीतियां, बोर्ड रूम पद्धतियां, जोखिम प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता विकास, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, संबंधित पार्टी लेनदेन, इनसाइडर ट्रेनिंग के निवारण के लिए संहिता, सेबी विनियम आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5.5 प्रतिक्रिया: भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले निदेशक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

5.6 नीति की व्याख्या: इस नीति में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या या कार्यान्वयन के संबंध में संदेह की स्थिति में, निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

6.0 बजट

बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर किया गया व्यय अर्थात् संकाय मानदेय, परिवहन, भोजन और आवास, पाठ्यक्रम सामग्री, आतिथ्य, स्थल इत्यादि सभी व्यय कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

****